इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40/ रुपए
(आईएसओ 9001 : 2015 द्वारा प्रमाणित)

व्यावसायिक
उत्कृष्टता के
प्रति प्रतिबद्ध

आईआईबीएफ विजन

खंड : 10 अंक : 8 मार्च 2018 पृष्ठों की संख्या 16

विजन : बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन : प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ --2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ--4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ --6
बीमा --6
नयी नियुक्तियाँ --- --7
उत्पाद एवं गठजोड़ -- 7
विदेशी मुद्रा **--7**
शब्दावली ---8
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------------------------------------8
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां ---------------------------------------9
संस्थान समाचार --9
नयी पहलकदमी ---13
बाजार की खबरें ---14

इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों/ मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/ किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक का 6ठा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2017-18

6ठी द्विमासिक मौद्रिक नीति 2017-18 की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- नीतिगत दर अपरिवर्तित रही।
- माल एवं सेवा कर के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उधारकर्ताओं के लिए राहत।
- न्यूनतम दर कार्यप्रणाली का संरूपण।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियो के ग्राहकों के लिए लोकपाल योजना।
- मुद्रा प्रबंधन प्रणाली का पुनरीक्षण।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा संशोधित

सरकार ने उसे माल एवं सेवा कर प्रणाली (G ST) के समनुरूप बनाने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषा करने के मानदंड परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान वर्गीकरण माल कंपनियों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश और सेवा फ़र्मों के मामले में उपकरण पर आधारित था। अब, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके वार्षिक पण्यावर्त के

आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। तदनुसार, अब सूक्ष्म उद्यम वे होंगे जिनका वार्षिक पण्यावर्त 5 करोड़ रुपए तक हो। 5 करोड़ रुपए से अधिक से लेकर 75 करोड़ रुपए तक के वार्षिक पण्यावर्त वाले उद्यमों को लघु उद्यम कहा जाएगा। 75 करोड़ रुपए अधिक से लेकर 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक पण्यावर्त वाली कंपनियों को मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

बोली मूल्य बढ़ाने के लिए विनियामक ने दिवाला नियम संशोधित किए

भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IB B I) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (N C LT) के माध्यम से पुन: संरचित की जा रही दबावग्रस्त आस्तियों के लिए कम बोली को रोकने के लिए नियम संशोधित कर दिया है। ये परिवर्तन ऋणदाताओं और बोली लगाने वालों के बीच दबावग्रस्त कंपनी के समुचित मूल्यांकन के बारे में मतभेदों के चलते किए गए हैं। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने किसी समाधान व्यावसायिक के लिए दबावग्रस्त कंपनी का केवल परिसमापन मूल्य निर्धारित करने की बजाय उचित मूल्य और उसके साथ ही परिसमापन मूल्य, दोनों निर्धारित करने हेतु दो पंजीकृत मूल्यांकक नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसके अतिरिक्त, बोली लगाने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य और परिसमापन मूल्य को बोली लगाने वालों से गोपनीय रखा जाएगा। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने कम बोली को रोकने के लिए समाधान व्यावसायिकों द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण को समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने की अवधि भी कम कर दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली वेबसाइट के प्रति चेताया

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह बताया है कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट जैसे अभिन्यास (layout) के साथ तथा "आनलाइन खाता धारकों के साथ बैंक सत्यापन" की व्यवस्था सहित अज्ञात व्यक्ति/यों द्वारा सृजित www.indiareservban.org नामक एक जाली वेबसाइट का पता चला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है तथा जनता को आगाह किया है कि वह व्यक्तियों के लिए कोई खाता नहीं रखता और वह बैंक खाते के विवरण, पासवर्ड आदि जैसी वैयक्तिक सूचना की मांग कभी नहीं करता।

सेबी ब्याज दर फ्यूचर्स के दैनिक निपटान मूल्य की गणना हेतु शेयर बाज़ारों को लचीलापन उपलब्ध कराएगा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी हितधारकों के विचारों को ध्यान मेँ रखते हुए शेयर बाज़ारों को ब्याज दर फ्यूचर्स (IRFs) के दैनिक संविदा निपटान मूल्य की परिकलन प्रणाली के संबंध मेँ लचीलापन प्रदान किया है। प्रतिभूतियों मेँ निवेश करने वाले निवेशकों के हितों को प्रतिरक्षित करने तथा प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और उसे विनियमित करने हेतु परिपत्र जारी कर दिया गया है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने रणनीतिक ऋण पुन: संरचना, एस4ए वापस ली, अनर्जक आस्ति के समाधान हेतु 180 दिनों का समय दिया

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह कहते हुए कि किसी सहायता संघ मेँ किसी बैंक को चूक का सामना करना पड़े तो अन्य बैंकों को प्राप्य राशियाँ वसूल करने के लिए कार्रवाई अवश्य आरंभ कर देनी चाहिए, बैंकों द्वारा उसी खाते के संबंध मेँ भिन्न वर्गीकरण मानदंड रिपोर्ट किए जाने को रोक दिया है। दबावग्रस्त खातों का समाधान करने के संबंध मेँ संशोधित ढ़ाचे में एक ही कूट के तहत उन्हें सरलीकृत करते हुए कई एक मौजूद दिशानिर्देशों को विलुप्त कर दिया गया है। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के संबंध मेँ विपदग्रस्त आस्तियों को पुनरुद्धारित करने की रूपरेखा, कारपोरेट ऋण पुन: संरचना (CDR) योजना, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली पुन: संरचना, रणनीतिक ऋण पुन: संरचना, (SDR) रणनीतिक पुन: संरचना से बाहर स्वामित्व मेँ परिवर्तन, दबावग्रस्त आस्तियों (S4a) की वहनीय पुन: संरचना योजना और संयुक्त ऋणदाता मंच (एक संस्थागत व्यवस्था के रूप मेँ संयुक्त ऋणदाता मंच) जैसे वर्तमान अनुदेश तात्कालिक प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। नए दिशानिर्देशों से मौजूदा ऋण समाधान वाले मामले प्रभावित नहीं होंगे। उपर्युक्त संक्रमण व्यवस्था उन उधारकर्ता कंपनियों के लिए नहीं उपलब्ध होगी जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के संदर्भ के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता के अधीन विशिष्ट अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम ऋणों के लिए शिथिलीकृत अनर्जक आस्ति मानदंड

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के मामले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों के प्रति उनके कुछ-न-कुछ एक्सपोजर के लिए अपने अनर्जक आस्ति (NPA) निर्धारण मानदंडों को सरल बना दिया है। तदनुसार, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लागू वर्तमान क्रमश: 90 दिन और 120 दिन के अपचार (delinquent) मानदंडों की बजाय कुछ एक्सपोजरों को प्राप्य राशियों का उनकी संबन्धित देय तिथियों से 180 दिन पहले भुगतान कर दिये जाने के बावजूद मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा। हालांकि, इसके लिए तीन शर्तें पूरी की जानी आवश्यक हैं : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों का माल और सेवा कर के उद्देश्य से पंजीकृत होना आवश्यक है; गैर-निधि-आधारित सुविधाओं के लिए समग्र एक्सपोजर 31 जनवरी, 2018 के दिन 25 करोड़ रुपए से अधिक न हो और उधारकर्ता खाता 31 अगस्त, 2017 के दिन मानक हो। यह 1 सितंबर, 2017 के दिन ऋणों की अतिदेय राशियों पर तथा 1 सितंबर, 2017 और 31 जनवरी, 2018 के बीच उधारकर्ता को किए जाने वाले भुगतान हेतु लागू होगा। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्‌वारा इन एक्सपोजरों के समक्ष 5% का एक प्रावधान किया जाना होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा व्युत्पन्नी क्रय-विक्रय सीमा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयर बाज़ारों में निवासी और अनिवासी भारतीयों, दोनों के लिए सभी मुद्रा-युग्मों में मुद्रा व्युत्पन्नियों (currency derivative) के क्रय-विक्रय के लिए रुपए में विदेशी मुद्रा क्रय-विक्रय की स्थिति से संबन्धित सीमा बढ़ाकर 100 मिलियन अमरीकी डालर करते हुए मुद्रा भावी सौदों (futures) के क्रय-विक्रय को बढ़ावा दिया है। इसके पहले यह सीमा इस खंड में सर्वाधिक आकर्षक संविदा डालर-रुपया युग्म के मामले में प्रति शेयर बाजार 15 मिलियन अमरीकी डालर थी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना की घोषणा की

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एक ऐसी लोकपाल योजना के अधीन ला दिया है जिसके द्वारा कोई व्यथित व्यक्ति किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस मुहिम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की सेवाओं मेँ कमी के लिए लागत-रहित और शीघ्र शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने की आशा है। वर्तमान मेँ इस योजना मेँ जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ शामिल होंगी तथा आगे चलकर उन कंपनियों को भी शामिल कर लिया जाएगा जिनका आस्ति आकार ग्राहक अंतरापृष्ठ के साथ 1 बिलियन रुपए और उससे अधिक हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ियों पर पैनल का गठन किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों मेँ बढ़ रही धोखाधड़ियों की घटनाओं के पीछे निहित कारणों तथा उन्हें नियंत्रित करने और रोकने हेतु आवश्यक उपायों का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। उक्त पैनल बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मेँ भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन की तुलना मेँ अधिक भिन्नता के कारणों तथा उसे रोकने के लिए किए गए उपायों का भी विश्लेषण करेगा। इसके अतिरिक्त, वह इस प्रकार की भिन्नता और धोखाधड़ियों को न्यूनीकृत करने मेँ विभिन्न बैंकों की लेखा-परीक्षाओं की भूमिका एवं प्रभावशीलता की भी जांच करेगा।

बीमा

बीमाकर्ताओं को इरडाई के निदेश : अदावी धनराशि को वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि मेँ अंतरित करें

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमाकर्ताओं से 30 सितंबर, 2017 के दिन दस वर्ष से अधिक की अवधि से पालिसी धारकों की अदावी रक़मों को वरिष्ठ

नागरिक कल्याण निधि (SCWF) में अंतरित करने हेतु कहा है। यह अंतरण 1 मार्च, 2018 को या उससे पहले किया जाना चाहिए।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	**पदनाम/संगठन**
श्रीमती उषा अनंतरामन	भारतीय बैंक संघ की अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित
श्री देबाशीष मुखर्जी	केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
श्री मुरली रामस्वामी	केनरा बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)	उत्तर-पूर्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का क्षमता-निर्माण से संबन्धित एक परियोजना के वित्तीयन हेतु।
नाबार्ड	भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI)	देशभर में नाबार्ड के परिसरों की छतों पर प्रणालियाँ स्थापित करने हेतु।.

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	23 फरवरी, 2018 के दिन बिलियन रुपए	23 फरवरी, 2018 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
कुल प्रारक्षित निधियाँ	27,234॰2	4,20,590.6
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	25,630.0	3,95,465.6
(ख) सोना	1,370.2	21,514.4
(ग) विशेष आहरण अधिकार	99.6	1,536.6
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	134.4	2,074.0

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2018 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) की न्यूनतम दरें
विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की आधार दरें

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	2.33600	2.54200	2.66340	2.74500	2.78600
जीबीपी	0.84360	1.0624	1.2109	1.3186	1.4000
यूरो	-0.22000	-0.111	0.106	0.295	0.474
जापानी येन	0.03750	0.066	0.091	0.100	0.124
कनाडाई डालर	2.04000	2.181	2.311	2.394	2.445
आस्ट्रेलियाई डालर	1.91000	2.060	2.220	2.510	2.620
स्विस फ्रैंक	-0.60750	-0.483	-0.308	-0.147	0.006
डैनिश क्रोन	-0.10920	0.0274	0.2359	0.4418	0.6320
न्यूजीलैंड डालर	2.05300	2.215	2.398	2.573	2.731
स्वीडिश क्रोन	-0.38600	-0.163	0.088	0.325	0.555
सिंगापुर डालर	1. 57000	1.820	1.990	2.128	2.230
हांगकांग डालर	1.63000	1.960	2.170	2.310	2.410
म्यामार	3.79000	3.820	3.850	3.880	3.925

शब्दावली

ब्याज दर भावी सौदे (फ्यूचर्स)

ब्याज दर भावी सौदा (फ्यूचर्स) क्रेता और विक्रेता के बीच सरकारी बांड जैसी किसी ब्याज वाहक आस्ति की भावी सुपुर्दगी हेतु सहमत होने की एक संविदा होता है। नकद निपटाये जाने वाले ब्याज दर भावी सौदे बाजार के सहभागियों को ब्याज दरों में उतार-चढ़ावों को प्रतिरक्षित करने का विकल्प प्रदान करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

शाश्वतता (Perpetuity)

शाश्वतता हमेशा के लिए एक नियमित समय वाले अंतरालों पर भुगतान (अथवा प्राप्त) किया जाने वाला एक स्थिर नकदी प्रवाह होती है। किसी शाश्वतता का वर्तमान मूल्य ए/आर (A/r) के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मार्च, 2018 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम का नाम	**तिथियाँ**	**स्थल**
दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 पर एक दिवसीय कार्यशाला	17 मार्च, 2018	मुंबई
वित्तीय सेवाओं में जोखिम में प्रमाणपत्र	9 से 11 मार्च, 2018 तक	ई-प्रशिक्षण विधि
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	18 से 20 मार्च, 2018 तक	ई-प्रशिक्षण विधि

संस्थान समाचार

बैंकों में क्षमता निर्माण

भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 अगस्त, 2016 की अपनी अधिसूचना के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक बैंक के पास परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों में उपयुक्त योग्यता/प्रमाणन सहित कर्मचारियों को परिनियोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति होनी चाहिए। प्रारम्भिक तौर पर उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र अभिज्ञात किया है :

1。 खजाना प्रबंधन : व्यापारी, मिड आफिस परिचालन।
2。 जोखिम प्रबंधन : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, उद्यम-व्यापी जोखिम, सूचना सुरक्षा, चलनिधि जोखिम।
3。 लेखांकन – वित्तीय परिणाम तैयार करना, लेखा-परीक्षा कार्य।
4. ऋण प्रबंधन : ऋण मूल्यांकन, श्रेणी-निर्धारण, निगरानी, ऋण संचालन।

कालांतर में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश पर भारतीय बैंक संघ ने उपयुक्त संस्थाओं एवं ऐसे

पाठ्यक्रमों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था, जो आवश्यक प्रमाणन प्रदान कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस उनमें से एक तथा एकमात्र ऐसी संस्था है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिज्ञात चार में से तीन क्षेत्रों में उक्त प्रमाणन प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ को संबोधित तथा प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैंस को पृष्ठांकित दिनांक 31 मई, 2017 के अपने पत्र के तहत यह कहा है कि भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला विदेशी मुद्रा में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ऐसे सभी बैंक कर्मचारियों, जो खजाना परिचालन सहित विदेशी मुद्रा परिचालन के क्षेत्र में कार्यरत है या कार्य करने के इच्छुक हैं, के लिए एक अनिवार्य प्रमाणन होगा।

संस्थान द्वारा खजाना परिचालन, जोखिम प्रबंधन और ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में उपलब्ध कराये जाने वाले पाठ्यक्रम आनलाइन परीक्षा के साथ प्रकृति की दृष्टि से मिश्रित हैं जिसके बाद उनमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिन्होंने आनलाइन परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है।

अभ्यर्थियों को ऋण प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थान ऋण प्रबंधन पर इसके नीचे वर्णित कार्यक्रम के अनुसार 74 केन्द्रों पर परीक्षाएँ आयोजित करेगा :

परीक्षा	परीक्षा की तिथि	पंजीकरण के लिए खुली अवधि
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	28-04-2018	14-03-2018 से 29-03-2018 तक
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	28-04-2018	14-03-2018 से 29-03-2018 तक
वित्तीय सेवाओं में जोखिम	28-04-2018	14-03-2018 से 29 03-2018 तक

कृपया परीक्षा पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन

संस्थान ने सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए प्रमाणित ऋण परामर्शी (CCC) कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 11 जुलाई, 2017 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के साथ एक भागीदारी
करार किया। प्रमाणित ऋण परामर्शी बनने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों को इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा संचालित सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों पर एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
उक्त परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेने पर तथा उसके बाद भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संचालित समुचित सावधानी जांच पूरी कर लेने के बाद अभ्यर्थी को प्रमाणित ऋण परामर्शी के रूप में
एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नयी पाठ्यसामग्री

संस्थान ने 29 अप्रैल, 2017 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अपनी नयी पाठ्यसामग्री की शुरुआत की। उक्त पुस्तक बैंकिंग भ्रातृसंध के उद्योग विशेषज्ञों द्वारा जारी की गई। इस विषय पर
पहली परीक्षा जनवरी, 2018 में आयोजित की जाएगी।

आभासी कक्षा में समाधान

संस्थान ने आभासी कक्षा वाली विधि के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एक साफ्टवेयर अभिगृहीत किया है। यह साफ्टवेयर गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी लाये बिना संस्थान को प्रशिक्षार्थियों की काफी बड़ी संख्या तक प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित करने में समर्थ बनाएगा। प्रमाणित ऋण अधिकारियों के लिए पहला आभासी कक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 से 11 तक सफलतापूर्वक संचालित किया गया तथा इस कार्यक्रम हेतु 53 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। जनवरी, 2018 माह में एक और आभासी कक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें 90 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। जनवरी से फरवरी, 2018 के दौरान तीन आभासी कक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें लगभग 90 सहभागियों ने पंजीकरण कराया। मार्च, 2018 में 2 आभासी कक्षा में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की आशा है।

मुंबई और कोलकाता स्थित संस्थान के स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ

वर्तमान में संस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), ग्राहक सेवा और धन-शोधन

निवारण/आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला नामक अपने तीन पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे शनिवारों को मुंबई एवं कोलकाता स्थित स्वयं अपने परीक्षा केन्द्रों में परीक्षाएँ आयोजित करता है। जून से लेकर अगस्त तक आयोजित की जाने वाली इन परीक्षाओं के लिए अनलाइन पंजीकरण 8 मई, 2017 से आरंभ हो रहा है। अभ्यर्थीगण अपनी पसंद की परीक्षा की तिथि एवं केंद्र का चयन कर सकते हैं। पंजीकरण पहले आए, पहले पाये के आधार पर होगा। उपर्युक्त पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in.पर उपलब्ध है।

आगामी अंकों के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तुएं

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2018 के आगामी अंक के लिए निर्धारित विषय-वस्तु है :
“बैंकों में साइबर सुरक्षा।” सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के तिमाही जर्नल में प्रकाशन हेतु आलेख भेज कर योगदान करें।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से निराकरण करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि :

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2017 से जुलाई, 2017 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसंबर, 2016 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2017 से जनवरी, 2018 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों
और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नई पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दे।

आईआईबीएफ विजन के स्वामित्व और अन्य विवरणों से संबन्धित वर्णन
इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का जर्नल

1॰ प्रकाशन स्थल	: मुंबई
2. प्रकाशन की आवधिकता	: मासिक
3. प्रकाशक का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
4. संपाद्क का नाम	: डा॰ जिबेन्दु नारायण मिश्र
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070
5 प्रिन्टिंग प्रेस का नाम	: आनलुकर प्रेस, 16 सासून डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 005
6. स्वामियों के नाम एवं पता	: इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स कोहिनूर सिटी, कामर्शियल- II, टावर 1, किरोल रोड, कुर्ला (प), मुंबई- 400 070

मैं, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र, एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि ऊपर दिये गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

31.03.2017 डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र
प्रकाशक के हस्ताक्षर

समाचार पंजीयक के पास आरएनआई संख्या 6928/1998 के अधीन पंजीकृत

बाजार की ख़बरें

भारित औसत मांग दरें

5.95.
5.9
5.85
5.8
5.75
5.7
4.65
5.6
5.55
5.5
5.45

सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018, फरवरी, 2018
स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम न्यूज़लेटर, फरवरी, 2018

भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर

95
90
85
80
75
70
65
60 अमरीकी डालर
55 जीबीपी

50 यूरो
येन
सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018, फरवरी, 2018
स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक (R B I)

खाद्येतर ऋण वृद्धि %

14
12
10
8
6
4
2
0
अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018
स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2018

बंबई शेयर बाजार सूचकांक

38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवम्बर, 2017, दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018, फरवरी, 2018
स्रोत : बंबई शेयर बाजार (B S E)

समग्र जमा वृद्धि %

11
10

9
8
7
6
5
4
3
2
1
अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017, दिसंबर, 2017, जनवरी, 2018

स्रोत : मंथली रिव्यू आफ इकानामी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, फरवरी, 2018

डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा मुद्रित, डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई- 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम),,मुंबई – 400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डा॰ जे॰ एन॰ मिश्र

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल,

किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), ,मुंबई – 400 070

टेलीफोन : 91-22-2503 9604/ 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : admin@iibf.org.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विजन मार्च, 2018